प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

(PM Vishwakarma Yojana)

आवेदन की संपूर्ण चरण-दर-चरण प्रक्रिया

पात्रता • आवेदन प्रक्रिया • लाभ • अपात्रता
सरकारी सहायता • अवधि • संबंधित विभाग • महत्वपूर्ण लिंक

आधिकारिक वेबसाइट: pmvishwakarma.gov.in
www.onlinekarobar.in | आपके बिज़नेस का सच्चा साथी

विषय सूची

1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य
2. योजना की अवधि, बजट और संबंधित विभाग
3. योजना में शामिल 18 पारंपरिक व्यवसाय
4. पात्रता (Eligibility)
5. कौन पात्र नहीं है (अपात्रता)
6. आवश्यक दस्तावेज़
7. योजना के लाभ एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता
8. आवेदन कैसे करें – चरण-दर-चरण प्रक्रिया
9. आवेदन का सत्यापन (Verification) कैसे होता है
10. आवेदन की स्थिति (Status) कैसे जाँचें
11. प्रशिक्षण, टूलकिट और ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया
12. सावधानियाँ और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
13. महत्वपूर्ण लिंक एवं हेल्पलाइन

1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसकी शुरुआत **17 सितंबर 2023** को (विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर) की गई। इसका उद्देश्य पारंपरिक रूप से हाथ के औज़ारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों (विश्वकर्मा) को पहचान, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औज़ार, आसान ऋण और बाज़ार से जुड़ाव उपलब्ध कराना है।

मुख्य उद्देश्य

- कारीगरों को **पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र** के माध्यम से औपचारिक पहचान देना।
- कौशल उन्नयन (Skill Upgradation) द्वारा काम की गुणवत्ता और आय बढ़ाना।
- आधुनिक टूलकिट के लिए आर्थिक सहायता देना।
- बिना गारंटी (Collateral-free) और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।
- डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन तथा उत्पादों की ब्रांडिंग व विपणन में सहायता करना।

2. योजना की अवधि, बजट और संबंधित विभाग

बिंदु	विवरण
योजना प्रारंभ	17 सितंबर 2023

योजना की अवधि	5 वर्ष – वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक (मार्च 2028 तक)
कुल बजट (परिव्यय)	₹13,000 करोड़ (केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित)
लक्षित लाभार्थी	पाँच वर्षों में लगभग 30 लाख कारीगर परिवार
नोडल मंत्रालय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
सहयोगी मंत्रालय/विभाग	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) तथा वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS)
आवेदन की अंतिम तिथि	योजना अवधि के दौरान पंजीकरण जारी है; कोई अलग निश्चित अंतिम तिथि घोषित नहीं है (नवीनतम स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर देखें)

3. योजना में शामिल 18 पारंपरिक व्यवसाय

1. बढ़ई (Carpenter)	2. नाव निर्माता (Boat Maker)	3. अस्त्र/कवच निर्माता (Armourer)
4. लोहार (Blacksmith)	5. हथौड़ा व टूलकिट निर्माता	6. ताला बनाने वाला (Locksmith)
7. सुनार (Goldsmith)	8. कुम्हार (Potter)	9. मूर्तिकार / पत्थर तराशने वाला / पत्थर तोड़ने वाला
10. मोची / जूता कारीगर (Cobbler)	11. राजमिस्त्री (Mason)	12. टोकरी / चटाई / झाड़ू बनाने वाला / कॉयर बुनकर
13. पारंपरिक गुड़िया व खिलौना निर्माता	14. नाई (Barber)	15. माला बनाने वाला (Garland Maker)
16. धोबी (Washerman)	17. दर्जी (Tailor)	18. मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला

4. पात्रता (Eligibility)

- आवेदक **भारत का नागरिक** हो।
- पंजीकरण की तिथि पर आवेदक की आयु **न्यूनतम 18 वर्ष** हो।
- आवेदक **असंगठित क्षेत्र में स्वरोज़गार** के रूप में ऊपर बताए गए 18 व्यवसायों में से किसी एक में, हाथ और औज़ारों से पारंपरिक कार्य करता हो।
- पंजीकरण की तिथि पर आवेदक उसी व्यवसाय में कार्यरत हो।
- पिछले **5 वर्षों** में आवेदक ने स्वरोज़गार/व्यवसाय विकास के लिए किसी समान ऋण-आधारित सरकारी योजना (जैसे PMEGP, PM SVANidhi, मुद्रा) का लाभ न लिया हो। (पहले लिया गया ऋण चुका दिया गया हो तो नियमानुसार आवेदन संभव हो सकता है।)
- परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) में से **केवल एक सदस्य** ही पंजीकरण करा सकता है।

5. कौन पात्र नहीं है (अपात्रता)

- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्य (पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे)।
- जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में PMEGP, PM SVANidhi या मुद्रा जैसी समान ऋण-आधारित योजनाओं का लाभ लिया हो और ऋण बकाया हो।
- एक ही परिवार का दूसरा सदस्य, यदि परिवार से कोई पहले ही पंजीकरण करा चुका हो।
- 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति।
- जो सूचीबद्ध 18 व्यवसायों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में लगे हों या जिनका कार्य पारंपरिक हस्त-कौशल पर आधारित न हो।
- जिनके दस्तावेज़ (आधार, बैंक खाता, मोबाइल आदि) अधूरे/गलत हों या सत्यापन में अस्वीकृत हो जाएँ।

6. आवश्यक दस्तावेज़

क्र.	दस्तावेज़	टिप्पणी
1	आधार कार्ड	अनिवार्य (बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु)
2	आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर	अनिवार्य (OTP हेतु)
3	बैंक खाते का विवरण / पासबुक (IFSC सहित)	अनिवार्य (आधार से जुड़ा हो तो बेहतर)
4	राशन कार्ड	परिवार का विवरण हेतु (यदि माँगा जाए)

5	जाति प्रमाण पत्र / दिव्यांग / विधवा प्रमाण पत्र	जहाँ लागू हो (वैकल्पिक)
6	पैन कार्ड	वैकल्पिक
7	पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एवं व्यवसाय का विवरण	आवश्यकतानुसार

नोट: आवश्यक दस्तावेज़ों की अंतिम सूची राज्य/समय के अनुसार बदल सकती है; आवेदन से पहले पोर्टल पर जाँच लें।

7. योजना के लाभ एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता

लाभ	विवरण
1. मान्यता	पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र (ID Card) – कारीगर के रूप में औपचारिक पहचान।
2. कौशल प्रशिक्षण	• बुनियादी प्रशिक्षण: 5-7 दिन (लगभग 40 घंटे) • उन्नत प्रशिक्षण (वैकल्पिक): 15 दिन (लगभग 120 घंटे) • प्रशिक्षण के दौरान **₹500 प्रतिदिन वजीफ़ा (Stipend)**
3. आधुनिक टूलकिट प्रोत्साहन	बुनियादी प्रशिक्षण के बाद औज़ार खरीदने हेतु **₹15,000** तक की सहायता (ई-वाउचर के रूप में)।
4. बिना गारंटी ऋण	• पहली किश्त: **₹1 लाख** (चुकौती अवधि 18 माह) • दूसरी किश्त: **₹2 लाख** (चुकौती अवधि 30 माह) – पहली किश्त समय पर चुकाने और डिजिटल लेन-देन अपनाने पर • रियायती ब्याज दर: अधिकतम **5%** (शेष ब्याज पर सरकार द्वारा अनुदान) • ऋण गारंटी शुल्क का भुगतान भारत सरकार करती है
5. डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन	प्रति सफल डिजिटल लेन-देन पर **₹1** (अधिकतम 100 लेन-देन प्रति माह तक, यानी ₹100 प्रति माह तक)।
6. विपणन सहायता	गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स/GeM से जुड़ाव, विज्ञापन, प्रचार एवं अन्य बाज़ार संपर्क में सहयोग।

ध्यान दें: ऊपर दी गई राशियाँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। ऋण की स्वीकृति बैंक/वित्तीय संस्थान की प्रक्रिया पर निर्भर करती है; केवल पंजीकरण से ऋण की गारंटी नहीं मिलती।

8. आवेदन कैसे करें – चरण-दर-चरण प्रक्रिया

आवेदन के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक पंजीकरण आवश्यक है, इसलिए आवेदन **नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)** पर या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। पंजीकरण निःशुल्क है।

1 आधिकारिक पोर्टल खोलें

वेबसाइट **pmvishwakarma.gov.in** पर जाएँ। (किसी अन्य या नकली वेबसाइट पर जानकारी न दें।)

2 लॉगिन विकल्प चुनें

"Login" पर क्लिक कर **"CSC – Register Artisans"** चुनें, या अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाएँ। CSC डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन कर पंजीकरण करता है।

3 आधार-मोबाइल सत्यापन

आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP से सत्यापन करें तथा आधार आधारित बायोमेट्रिक/ई-केवाईसी पूरा करें।

4 पात्रता प्रश्नों के उत्तर दें

पोर्टल कुछ प्रश्न पूछता है, जैसे – क्या आप या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है? क्या आपने पिछले 5 वर्षों में PMEGP/SVANidhi/मुद्रा जैसी योजना का लाभ लिया है? सही उत्तर दें।

5 व्यक्तिगत एवं व्यवसाय का विवरण भरें

नाम, पता, आयु, परिवार का विवरण, व्यवसाय (18 में से), बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, IFSC) आदि सही-सही भरें।

6 दस्तावेज़ अपलोड करें और फ़ॉर्म जमा करें

आवश्यक दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से अपलोड करें, सभी जानकारी जाँचकर फ़ॉर्म सबमिट करें।

7 पंजीकरण संख्या/आईडी प्राप्त करें

सफल पंजीकरण के बाद आपको पंजीकरण संख्या/पावती मिलेगी तथा **पीएम विश्वकर्मा डिजिटल पहचान पत्र और प्रमाण पत्र** जारी होगा। इसे सुरक्षित रखें।

9. आवेदन का सत्यापन (Verification) कैसे होता है

स्तर	प्रक्रिया
स्तर 1	ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) अथवा शहरी स्थानीय निकाय (शहरी क्षेत्र) के प्रमुख द्वारा आवेदक के व्यवसाय एवं विवरण का सत्यापन।
स्तर 2	जिला क्रियान्वयन समिति (District Implementation Committee) द्वारा सत्यापन एवं अनुशंसा।

स्तर 3	स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अंतिम अनुमोदन। अनुमोदन के बाद आवेदक को प्रशिक्षण/लाभ के लिए पात्र माना जाता है।

10. आवेदन की स्थिति (Status) कैसे जाँचें

1. pmvishwakarma.gov.in पर जाएँ।
2. “Login” में आवेदक (Beneficiary) लॉगिन चुनें।
3. आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर/पंजीकरण आईडी दर्ज करें और OTP से सत्यापन करें।
4. डैशबोर्ड पर आवेदन की वर्तमान स्थिति (सत्यापन, प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण) देखें।
5. सहायता चाहिए तो नज़दीकी CSC या हेल्पलाइन से संपर्क करें।

11. प्रशिक्षण, टूलकिट और ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया

चरण	क्या होता है
पंजीकरण व अनुमोदन	सत्यापन के बाद पहचान पत्र और प्रमाण पत्र जारी।
बुनियादी प्रशिक्षण	मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र में 5-7 दिन का प्रशिक्षण; प्रतिदिन ₹500 वजीफ़ा सीधे बैंक खाते में।
टूलकिट ई-वाउचर	बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ₹15,000 का ई-वाउचर।
पहली ऋण किश्त	प्रशिक्षण के बाद बैंक में आवेदन पर ₹1 लाख तक का ऋण (5% ब्याज)।
उन्नत प्रशिक्षण (वैकल्पिक)	15 दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण, वजीफ़ा सहित।
दूसरी ऋण किश्त	पहली किश्त पूर्ण चुकाने और डिजिटल लेन-देन अपनाने पर ₹2 लाख तक।

12. सावधानियाँ और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सावधानियाँ

- आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत CSC के माध्यम से करें; पंजीकरण निःशुल्क है, किसी को पैसे न दें।
- आधार, बैंक और मोबाइल की जानकारी सही दर्ज करें; गलत विवरण से आवेदन रद्द हो सकता है।
- OTP, बैंक पिन या पासवर्ड किसी से साझा न करें।
- ऋण समय पर चुकाएँ, ताकि दूसरी किश्त मिल सके।

प्रश्न 1: क्या महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं?

हाँ, पात्र महिला कारीगर आवेदन कर सकती हैं।

प्रश्न 2: क्या योजना पूरे देश में लागू है ?

हाँ, यह योजना सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है।

प्रश्न 3: क्या पंजीकरण करने पर ऋण निश्चित मिलता है ?

नहीं। लाभ सत्यापन, प्रशिक्षण और बैंक की प्रक्रिया के बाद ही मिलते हैं।

प्रश्न 4: क्या एक परिवार के कई सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, एक परिवार से केवल एक सदस्य।

प्रश्न 5: क्या आवेदन शुल्क लगता है ?

नहीं, पंजीकरण निःशुल्क है।

13. महत्वपूर्ण लिंक एवं हेल्पलाइन

विवरण	लिंक / संपर्क
आधिकारिक पोर्टल	https://pmvishwakarma.gov.in
CSC डिजिटल सेवा पोर्टल	https://csc.gov.in
MSME मंत्रालय	https://msme.gov.in
कौशल विकास मंत्रालय (MSDE)	https://msde.gov.in
टोल-फ्री हेल्पलाइन	18002677777 / 17923

अस्वीकरण (Disclaimer): यह गाइड सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है और यह कोई सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। योजना के नियम, राशि, दस्तावेज़ और अंतिम तिथि समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन से पहले नवीनतम जानकारी **pmvishwakarma.gov.in** पर अवश्य जाँच लें। तैयारी तिथि: 14 नवंबर 2026।